



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122023-250996
CG-DL-E-31122023-250996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5299]

नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 31, 2023/पौष 10, 1945

No. 5299]

NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 31, 2023/PAUSHA 10, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5532(अ).—तहरीक-ए-हुरियत, जम्मू और कश्मीर, जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार में सम्मिलित होने के लिए जाना जाता है;

और, तहरीक-ए-हुरियत का उद्देश्य भारत से जम्मू-कश्मीर को अलग कराना और जम्मू-कश्मीर में इस्लामिक शासन की स्थापना करना है;

और, तहरीक-ए-हुरियत के नेता और सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके परोक्षी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के जरिए धन जुटाने में संलिप्त रहे हैं;

और, तहरीक-ए-हुरियत और उसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश के संवैधानिक प्राधिकरण और संवैधानिक संरचना का घोर अनादर करते हैं;

और, तहरीक-ए-हुर्रियत के सदस्य सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके सदस्य देश में आतंक का शासन स्थापित करने के इरादे से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने में संलिप्त रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था संकटापन्न हो रही है;

और, तहरीक-ए-हुर्रियत और उसके नेता एवं सदस्य, देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिकूल विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं;

और, तहरीक-ए-हुर्रियत को कभी भी शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं रहा और इसके नेताओं ने कई बार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यदि तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया जाता है अथवा नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो वह इस अवसर को निम्नलिखित हेतु प्रयोग करेगा:—

- (i) भारत संघ में इसके विलय पर विवाद पैदा करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से पृथक करने का समर्थन जारी रखना; और
- (ii) देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अहितकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को जारी रखना;
- (iii) भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच झूठी अफवाह फैलाना और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का दुष्प्रचार जारी रखना;

और, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर को तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यक्षीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14017/19/2023-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2023

S.O. 5532(E).— Whereas, the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as the TeH), is known for its involvement in fomenting terrorism and anti-India propaganda for fueling the secessionist activities in the Jammu and Kashmir;

And, whereas, the objective of TeH is to separate Jammu and Kashmir from India and establish Islamic rule in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of the TeH have been involved in raising funds through various sources including Pakistan and its proxy organisations for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the TeH and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And, whereas, the TeH members are paying tributes to terrorists who were killed in encounters with Security Forces and its members have been involved in supporting terrorist activities with an intent to create a reign of terror in the country, thereby endangering the security and public order of the State;

And, whereas, the TeH and its leaders and members, have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, security and communal harmony of the country;

And, whereas, the TeH never believed in a democratic system of governance and TeH leadership gave repeated calls to boycott assembly elections on multiple occasions;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir, it will use this opportunity to –

- (i) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and
- (ii) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country; and
- (iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the abovementioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir (TeH), it is necessary to declare the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir (TeH), as an ‘unlawful association’ with immediate effect;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir (TeH), as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Tehreek-e-Hurriyat, Jammu and Kashmir (TeH), as an ‘unlawful association’ with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/19/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.